रजिस्टर्ड/ईमेल/अतिमहत्वपूर्ण/कोर्टकेस/परिपत्र
मुख्य सचिव महोदय आदेश

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 694 /स्था0शा0/कोर्टकेस/वि0वि0स0फो0 दिनांक– 25/02/2019

विषय– **विभिन्न मा0 न्यायालयों मे भारी संख्या में योजित कर्मियों के सेवा सम्बन्धी मुकदमों के निस्तारण हेतु "विभागीय विवाद समाधान फोरम" को सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन (अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग) के पत्र संख्या–01/2019/11/सात–न्या0अनु0प्रको0/2019 दिनांक 11.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में योजित हो रहे कार्मिकों के मुकदमों के निरतारण में कठिनाईयों के दृष्टिगत विवादों के परस्पर बातचीत से समाधान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों जिनमें सरकार पक्षकार है, के त्वरित निरतारण हेतु शासन द्वारा गठित "विभागीय विवाद समाधान फोरम" को सक्रिय किये जाने के संबंध में विभागों को कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से पत्र में उल्लिखित "विभागीय विवाद समाधान फोरम" के संबंध में पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों का उल्लेख करते हुये पूर्व में 02 विभागीय समाधान फोरम के स्थान पर 04 विभागीय समाधान फोरम के गठन किये जाने की स्थिति से अवगत कराया गया है एवं अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि समाधान हेतु आवेदन पत्र प्रमुख सचिव, न्याय को सम्बोधित करते हुये निर्धारित प्रारुप पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

उक्त के साथ शासन द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों का उल्लेख करते हुये शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का विभागीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने का निर्देश दिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत "विभागीय विवाद समाधान फोरम" के गठन एवं कार्यप्रणाली/प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेशों में शासन के प्रश्नगत पत्र दिनांक 11.02.2019 में इंगित निम्न शासनादेशों की प्रतियों (जो कि न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के साथ निर्देशित किया जाता है कि कृपया शासन के प्रश्नगत पत्र दिनांक 11.02.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पत्र में उल्लिखित शासनादेशों की प्रतियां वेबसाइट से प्राप्त कर स्वयं के स्तर से मण्डल एवं जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से जनपद स्तर पर "विभागीय विवाद समाधान फोरम" एवं इस सम्बन्ध में शासकीय निर्णय का व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करायें।

संलग्न शासनादेश : 1– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 963(2)/ सात –न्या0अनु0प्रको0/2012 दिनांक 24 सितम्बर, 2012

2– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1/2015–93/सात –न्या0अनु0प्रको0/2015–6न्या0अनु0प्रको0/2008 दिनांक 19 जून, 2015

कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी उक्तानुसार अनुपालन हेतु अवगत कराते हुये निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

25/2/2019

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र संख्या:– /स्था0शा0/कोर्ट केस दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 11.02.2019 दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगणों को उक्त संदर्भ में उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त के प्रचार–प्रसार हेतु ***"विभागीय विवाद समाधान फोरम"*** के नाम से लिंक बनाते हुये उसमें उपरोक्त समस्त शासनादेशों एवं पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

Scanned by CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 01/2019/ 11 /सात-न्याय-अनु0प्रको0/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2019

विषय:- विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में योजित कर्मियों के सेवा संबंधी मुकदमों के निस्तारण हेतु पूर्व में गठित "विभागीय विवाद समाधान फोरम" को सक्रिय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में योजित हो रहे कार्मियों के मुकदमों के निस्तारण में जहां एक ओर अत्यधिक समय लगता है एवं भारी धनराशि का व्यय होता है वहीं दूसरी ओर पैरवी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होने एवं परिवार को भी परेशानी का सामना करना पडता है। इन परिस्थितियों में परस्पर बातचीत से विवाद का समाधान किये जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1649/सात-न्याय-1-2008-79/2007, दिनांक 30 मई, 2008 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों जिनमें सरकार पक्षकार है, के त्वरित निस्तारण हेतु "विभागीय विवाद समाधान फोरम" का गठन किया गया था। समय-समय पर उक्त गठित फोरम में यथावश्यकता संशोधन किये गये हैं।

2- तत्पश्चात प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय विवाद समाधान फोरम को और अधिक सक्रिय किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01-07-2014 में की गयी संस्तुतियों एवं इस संबंध मा0 मंत्रि परिषद के प्राप्त निर्णय के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2015-93/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2015-06न्याय-अनु0प्रको0/2008, दिनांक 19 जून, 2015 द्वारा 02 विभागीय विवाद समाधान फोरम के स्थान पर 04 विभागीय समाधान फोरम का गठन किया गया।

13-02-2019
(प्रह्लाद पटेल)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग
उ० प्र० शासन।

15-02-19
(एस० के० सिंह)
निदेशक मत्स्य उ० प्र०

13-02-19
(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव
मत्स्य एवं समन्वय विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव,
मत्स्य उत्पादन विभाग
उ० प्र० शासन

Scanned by CamScanner

3- उक्त के अतिरिक्त अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) की निर्गत विज्ञप्ति संख्या-963(2)/सात-न्याय-अनु0प्रको0-2012, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि समाधान हेतु आवेदन पत्र प्रमुख सचिव, न्याय को सम्बोधित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

4- इस संबंध में मुझे "विभागीय विवाद समाधान फोरम" से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेशों/अधिसूचनाओं की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था के अनुसार उक्त निर्णय का अपने-अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि। (न्याय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड है)

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/111(1) /सात-न्याय-अनु0प्रको0/2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 न्याय मंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5- अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 /महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 / संगठन मंत्री, राज्य कर्मचारी, संयुक्त परिषद।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

Scanned by CamScanner

8-08

उत्तर प्रदेश शासन
अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)
संख्या–963(1)/सात–न्या.–अनु0प्रको0–2012
लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2012

विज्ञप्ति

न्याय अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1649/सात–न्याय–1/2008–79/2007, दिनांक 30 मई, 2008 द्वारा दो विभागीय विवाद समाधान फोरमों का गठन किया गया था एवं न्याय अनुश्रवण प्रकोष्ठ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–907/सात–न्या.–अनु0प्रको0–2012–6न्या0अनु0/2008, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा उक्त फोरमों का पुनर्गठन करते हुए श्री बलविन्दर सिंह भुल्लर, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग को फोरम संख्या–1 एवं श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को फोरम संख्या–2 का अध्यक्ष नामित किया गया था।

2– एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सेवा सम्बन्धी वादों का न्यायालय से बाहर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान कराये जाने के उद्देश्य से दो विभागीय विवाद समाधान फोरमों का गठन किया गया है, जिसके द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समाधान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

अतः राज्यधीन सेवाओं में कार्यरत समस्त ऐसे कार्मिकों, जो कि किन्हीं सेवा सम्बन्धी मामलों से क्षुब्ध होकर समुचित उपचार प्राप्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर चुके हैं तथा मामले का न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान कराये जाने हेतु इच्छुक हैं, वे समाधान हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र प्रमुख सचिव, न्याय विभाग को प्रेषित कर सकते हैं।

3– विभागीय विवाद समाधान फोरमों के माध्यम से मामलों का समाधान कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप समस्त विभागों की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

4– समाधान हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को सम्बोधित होने अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(डी0एस0 त्रिपाठी)
प्रभारी प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग।

Scanned by CamScanner

9207

उत्तर प्रदेश शासन
अनुश्रवण प्रकोष्ठ, (न्याय विभाग)
संख्या–963/सात–न्या0अनु0प्रको0/2012–6–न्या0अनु0/2008
लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

न्याय अनुश्रवण प्रकोष्ठ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–907/सात– न्या0–अनु0प्रको0/2012–6–न्या0अनु0/2008,दिनॉक: 03 सितम्बर, 2012 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे मुकदमों, जिसमें राज्य सरकार एक पक्षकार है, के समाधान हेतु शासन स्तर पर दो विभागीय विवाद समाधान फोरमों का पुनर्गठन किया गया था।

2– विभागीय विवाद समाधान फोरम के गठन विषयक न्याय अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1649/सात– न्याय–1/2008– 79/2007, दिनांक 30 मई 2008 में शासन स्तर के कतिपय विभागों को उक्त फोरमों से सम्बद्ध करते हुए सम्बन्धित विभागों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे एसे प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/अभिलेख फोरम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें। चूंकि, सम्प्रति सेवा सम्बन्धित प्रकरणों को ही फोरम में सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है, अत: शेष विभागों को भी निम्नवत एतद्द्वारा फोरम संख्या–1 व 2 से सम्बद्ध किया जाता है।

(1) नियुक्ति, संस्कृति, होमगार्ड, न्याय, आवास, वित्त, कृषि, मत्स्य, सूचना, भाषा, समाज कल्याण, उत्तरांचल समन्वय, राज्य सम्पत्ति, नियोजन, ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, खेलकूद, सार्वजनिक उद्यम, चीनी उद्योग एवं गन्ना, युवा कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन, नागरिक उड्डयन, उद्यान, निर्वाचन, वस्त्रोद्योग, विकलांग कल्याण, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, वाह्य सहायतित परियोजना, रेशम, निजी पूँजी निवेश, विधायी, अवस्थापना विकास, परती भूमि विकास, सिंचाई (यांत्रिक), व्यावसायिक शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन आदि को फोरम संख्या एक से सम्बद्ध किया जाता है।

(2) सामान्य प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन, अतिरिक्त ऊर्जा, नगर विकास, लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन, सचिवालय प्रशसान, कारागार प्रशासन, गोपन, खाद्य रसद, कार्यक्रम कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री कार्यालय,पशुधन, सतर्कता, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, प्रोटोकाल, दुग्ध विकास, पर्यावरण, धर्मार्थ कार्य, महिला एवं बाल विकास, लघु सिंचाई, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समग्र ग्राम्य विकास, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन, समन्वय, बैंकिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कृषि विपणन विदेश व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण बाटमाप, भूतत्व एवं खनिकर्म, खाद्य एव औषधि प्रशासन, संसदीय ग्रामीण अभियन्त्रण आदि विभागों को फोरम सख्या–दो से सम्बद्ध किया जाता है।

3– विभागीय विवाद समाधान फोरम के माध्यम से ऐसे प्रकरणों के निस्तारण कराये जाने हेतु याची से निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर आवेदन स्वीकार्य होंगे। यह आवेदन पत्र प्रमुख सचिव, न्याय विभाग,

Scanned by CamScanner

अपेक्षा सचिवालय को सम्बोधित होगा। समस्त विभाग आवेदन के प्रारूप को अपने विभागीय वेबसाइट पर डाल कर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करायें।

4 न्याय विभाग के अधीन गठित अनुश्रवण प्रकोष्ठ दोनों फोरमों के कार्यालय के रूप में भी कार्य करेगा।

5– प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में निम्नवत कार्यवाही की जायेगी–

अनुश्रवण प्रकोष्ठ के स्तर पर :– प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे:–

(क) प्रत्येक प्रत्यावेदन को अनुश्रवण प्रकोष्ठ में पंजीकृत किया जाना।
(ख) प्रत्येक प्रत्यावेदन को अलग–अलग पत्रावली पर प्रस्तुत करना।
(ग) विभागीय विवाद समाधान फोरम के संबंधित अध्यक्ष के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित कराना।
(घ) सुनवाई की तिथि से दोनों पक्षों को अवगत कराना।
(ङ) सुनवाई के दौरान फोरम के सदस्य के रूप में भाग लेने वाले संबंधित विभाग के विशेष सचिव को संबंधित पत्रावली के साथ बैठक में आमंत्रित करना।
(च) फोरम की संस्तुति/निर्णय से दोनों पक्षों को अवगत कराना।
(छ) फोरम की संस्तुतियों/निर्णयों का विभागों द्वारा कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाना।

विभागीय विवाद समाधान फोरम के स्तर पर:– फोरम द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी

(क) प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में सुनवाई की तिथि का निर्धारण करना।
(ख) नियत तिथि पर संबंधित पक्षों की सुनवाई करना तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/सामग्री का परीक्षण करना।
(ग) सुनवाई के उपरान्त प्रकरण के निस्तारण हेतु समुचित संस्तुति करना।
(घ) फोरम अन्य ऐसी अपेक्षाएं कर सकेगा जिनसे प्रस्तुत मामले का समाधान किये जाने में सहायता मिलती हो। अध्यक्ष द्वारा ऐसेप्रकरणों के निस्तारण में यदि कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक पाया जाये तो कार्मिक विभाग को पत्रावली परामर्श हेतु संदर्भित की जायेगी।

6 फोरम की संस्तुति के उपरान्त संबंधित विभाग द्वारा 45 दिवस के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा अनुपालन आख्या अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) को उपलब्ध करायी जाये। यदि फोरम की संस्तुति का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं है तो 45 दिवस के भीतर अनुश्रवण प्रकोष्ठ को उन कारणों से अवगत कराना होगा जिनके आधार पर संस्तुति के अनुपालन से विरत रहने का निर्णय लिया गया।

7 विभाग से प्राप्त आख्या, जिसमें उन कारणों/आधारों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर संस्तुति के अनुपालन से विरत रहने का अभिनिश्चय किया गया है, फोरम के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके

Scanned by CamScanner

मन्तव्य प्राप्त करेगा। तदोपरान्त, विभागीय आख्या तथा तदनुक्रम में फोरम के मन्तव्य सहित पत्रावली मुख्य सचिव को प्रस्तुत करते हुए अग्रिम कार्यवाही के संबंध में आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

8 उक्त विभागीय विवाद समाधान फोरमो द्वारा सम्पादित कार्यों के अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक रूप से किया जायेगा। इसके गठन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये ताकि सभी सम्बन्धितों को इसकी जानकारी रहे एवं फोरम के गठन का मूल उद्देश्य सार्थक हो सके।

संलग्नक:– आवेदन का प्रारूप।

डी०एस० त्रिपाठी
प्रभारी प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग।

संख्या: 963 (1) सात–न्या0–अनु0प्रको0–2012–6–न्या0अनु0/08 तद्दिनॉंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
(3) श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष फोरम संख्या 1, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) श्री बलविन्दर सिंह भुल्लर, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष फोरम संख्या -2, परिवहन विभाग उ0 प्र0 शासन।
(5) फोरम संख्या–1 व 2 के समस्त सदस्यगण।
(6) निदेशक, सूचना विभाग उ0 प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे फोरम के गठन से संबंधित इस कार्यालय ज्ञाप का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी० एस० त्रिपाठी)
प्रभारी प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग।

Scanned by CamScanner

विभागीय विवाद समाधान फोरम के द्वारा सेवा-सम्बन्धी प्रकरण का निस्तारण कराए जाने हेतु आवेदन पत्र।

(1) आवेदक का नाम : --

(2) पदनाम : --

(3) नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष : ----------------------------------

(4) वर्तमान तैनाती (कार्यालय का नाम एवम् पूरा पता): ----------
----
----

(5) पत्र व्यवहार का पता : --

-------------------------- दूरभाष/मोबाइल नं0 ----------------

(6) समाधान हेतु प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

(7) क्या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है :- हाँ / नहीं

(8) यदि हाँ, तो रिट याचिका संख्या : ------------------------------

(9) न्यायालय, जहाँ रिट याचिका योजित की गयी है : --

--2/

Scanned by CamScanner

(10) याची द्वारा मांगा गया अनुतोष :-

(11) न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है :- हाँ / नहीं।

(12) क्या नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है :- हाँ / नहीं।

(13) यदि नहीं, तो क्या नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा न्यायालय आदेश के विरुद्ध अपील / विशेष अनुज्ञा याचिका/पुनर्विचार याचिका योजित की गई है :-हाँ / नहीं।

(14) यदि हाँ तो उसकी वर्तमान स्थिति :- अनिस्तारित / निस्तारित/ /इन्फ्रक्चुअस (निष्प्रभावी)

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नकों का विवरण :

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

संख्या-01/2015-93/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2015-6न्याय-अनु0प्रको0/2008

लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विभिन्न न्यायालय में भारी संख्या में योजित हो रहे मुकदमों के निस्तारण में जहां एक ओर अत्यधिक समय लगता है एवं भारी धनराशि का व्यय होता है वहीं दूसरी ओर पैरवी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता है। इसके अतिरिक्त कतिपय मामलों में कर्मचारी/अधिकारी एवं उसके परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में परस्पर बातचीत से विवाद का समाधान किये जाने पर स्थिति में सुधार की सम्भावना की जा सकती है।

2- उक्त के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1649/सात-न्याय-1-2008-79/2007, दिनांक 30 मई, 2008 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों, जिनमें सरकार पक्षकार है, के त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय विवाद समाधान फोरम का गठन किया गया था। समय-समय पर उक्त गठित फोरम में यथावश्यकता संशोधन किये गये हैं। बदलते परिवेश में विभागीय विवाद समाधान फोरम को और अधिक सक्रिय किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

3- प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय विवाद समाधान फोरम को और अधिक सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01.07.2014 के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय विवाद समाधान फोरम के पुनर्गठन एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(1) लम्बित वादों की गुरूतर संख्या के दृष्टिगत गठित '02 विभागीय विवाद समाधान फोरम' के स्थान पर पुनर्गठित करते हुए 04 विभागीय विवाद समाधान फोरम का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनको विभागीय विवादों के समाधान के दृष्टिकोण से मुख्य सचिव के अनुमोदन से विभिन्न विभाग, जहां लम्बित वादों की संख्या अधिक है, आवंटित किये जायेंगे और आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव के अनुमोदन से आवंटन में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

2- उपर्युक्तानुसार 04 विशिष्ट फोरम 'विभागीय विवाद समाधान फोरम' के नाम से स्थापित होंगे, जिनके मा0 अध्यक्ष/सदस्य निम्नवत होंगे :-

(1) **विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1**

(1) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री शिव बरन सिंह यादव, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 (मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) श्री धीरज साहू, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

(2) **विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-2**

(1) प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री प्रमोद कुमार नेगी, अध्यक्ष, राज्यकीय वाहन चालक महासंघ उ0प्र0 (मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) श्री अनिल कुमार सागर, सचिव, विकलांग जन विकास विभाग। (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

(3) विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-3

(1) प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री राम नगीना सिंह, महामंत्री, उ0प्र0 सांख्यकीय कर्मचारी परिसंघ। (मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) डा0 अशोक कुमार वर्मा, सचिव, राजस्व विभाग। (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

(4) विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-4

(1) प्रमुख सचिव, राष्टीय एकीकरण विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय, अध्यक्ष, उ0प्र0 सरकार स्टेनोग्राफर महासंघ।(मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, गृह विभाग। मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

3- विभागीय विवाद समाधान फोरमों के कार्य के लिये गठित अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग प्राप्त वादों में प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से पत्रावली संदर्भित करेगा कि सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव वादी को बुलाकर उनकी समस्याओं को स्वयं सुनें तथा निर्दिष्ट समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

के अन्तर्गत विधिमान्य व्यवस्थओं के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करके पत्रावली प्रमुख सचिव, अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग को वापस करे। विभागीय प्रमुख सचिव यदि प्रकरण का निस्तारण फोरम के द्वारा कराना चाहते हैं तो अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग मामले का परीक्षण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही/सुनवाई हेतु उसे संबंधित फोरम के अध्यक्ष को प्रस्तुत करे।

4- सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागीय विवाद समाधान फोरम के समक्ष मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 लोक सेवा अधिकरण के सम्मुख लम्बित मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत की जायेंगी। विभागीय विवाद समाधान फोरम द्वारा सम्बन्धित वादों में सम्यक परीक्षणोंपरान्त सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह निष्कर्ष लिये जायेंगे कि याची द्वारा प्रार्थित अनुतोष प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं यदि अनुतोष दिया जा सकता है तो प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रशासनिक विभाग को आवश्यक संस्तुति की जायेगी तथा विभागीय प्रमुख सचिव/सक्षम स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त मामले के अंतिम निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि फोरम द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो मा0 न्यायालय में शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी की जायेगी। फोरम क्रमवार पहले ऐसे विभागों के लम्बित प्रकरणों की सुनवाई करेगा जिनमें लम्बित वादों की संख्या अधिक होगी। फोरम द्वारा वादों के निस्तारण के समय अत्यन्त तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपितु सहानुभूतिपूर्ण एवं उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जायेगा।

5- ऐसे विभाग जिनके यहाँ लम्बित वादों की संख्या कम है, द्वारा भी विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यवाही, विभागीय नोडल अधिकारी के स्तर से की जायेगी एवं विभागीय नोडल अधिकारी की संस्तुति मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त करके किसी एक विभागीय विवाद समाधान फोरम को प्रेषित की जायेगी। ऐसे मामलों में फोरम अन्य मामलों की भांति अपनी संस्तुति विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित करेंगे।

6- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा-सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु 'सेवा लोक अदालत' अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग द्वारा आयोजित कराया जायेगा। इसके लिये महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय से समन्वय करते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

न्याय विभाग द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक दिन (शनिवार की तिथि) सेवा लोक अदालत की कार्यवाही सम्पन्न कराने की कार्यवाही की जायेगी।

7- विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1, 2, 3 व 4 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागों का बँटवारा करते हुए सुनवाई सम्पन्न कराई जायेगी :-

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1

उच्च शिक्षा/आबकारी/ऊर्जा/औद्योगिक विकास/कार्मिक/खादी एवं ग्रामोद्योग/गृह/श्रम/वन/परिवहन/पंचायतीराज/नियुक्ति/संस्कृति/होमगार्ड/न्याय/आवास/वित्त/कृषि/मत्स्य/सूचना/भाष/समाज कल्याण/उत्तरांचल समन्वय व राज्य सम्पत्ति विभाग।

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-2

नियोजन/ग्राम्य विकास/राष्ट्रीय एकीकरण/खेलकूद/सार्वजनिक उद्यम/चीनी उद्योग एवं गन्ना/युवा कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/भूमि विकास एवं जल संसाधन/नागरिक उड्डयन / उद्यान/निर्वाचन/वस्त्रोद्योग/विकलांग जन विकास/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/वाह्य सहायतित परियोजना/परती भूमि विकास/सिंचाई (यांत्रिक) व व्यवसायिक शिक्षा विभाग।

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-3

लोक सेवा प्रबन्धन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/लोक निर्माण/राजस्व/सिंचाई/सहकारिता/वित्त/सामान्य प्रशासन/नागरिक सुरक्षा/राजनैतिक पेंशन/अतिरिक्त ऊर्जा/नगर विकास/लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/सचिवालय प्रशासन/कारागार प्रशासन/गोपन/खाद्य रसद/कार्याक्रम कार्यान्वयन/ मुख्य मंत्री कार्यालय व पशुधन विभाग।

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-4

सतर्कता/पर्यटन/प्रशासनिकसुधार/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सैनिक कल्याण/प्रोटोकाल/दुग्ध् विकास/ पर्यावरण/धर्मार्थ कार्य/महिला एवं बाल विकास/लघु सिंचाई/पिछडा वर्ग कल्याण/ समग्र ग्राम्य विकास/ नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/ समन्वय/बैंकिंग / सूचना एवं प्रौद्योगिकी/ कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/ उपभोक्ता संरक्षण बांट माप/ भूतत्व एवं खनिकर्म/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन/ संसदीय व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

8- यद्यपि उपर्युक्त प्रस्तर-7 में सभी विभागीय विवाद समाधान फोरम में विभागों का बंटवारा करते हुए प्रत्येक के सम्मुख विभागों का उल्लेख कर दिया गया है फिर भी यदि किसी विभाग का उल्लेख उक्त 04 फोरमों में से किसी फोरम के सम्मुख अंकित नहीं है तो उस विभाग से संबंधित प्रकरण की सुनवाई विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1 द्वारा की जायेगी।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-01/2015-93/(1)/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2015-6न्याय-अनु0प्रको0/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन/ प्रशासनिक सुधार/उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. श्री धीरज साहू, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अनिल कुमार सागर, सचिव, विकलांग जन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. डा0 अशोक कुमार वर्मा, सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्रीमती सरोज यादव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी (विधि) कोष्ठक, उच्चतम न्यायालय, तेज बिल्डिंग, 8-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ।
9. श्री शिव बरन सिंह यादव, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0।
10. श्री प्रमोद कुमार नेगी, अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक महासंघ, उ0प्र0।
11. श्री राम नगीना सिंह, महामंत्री, उ0प्र0 सांख्यकीय कर्मचारी परिसंघ।
12. श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय, अध्यक्ष, उ0प्र0 सरकार स्टेनोग्राफर महासंघ।
13. न्याय अनुभाग.1 (उच्च न्यायालय)/ न्याय अनुभाग.3 (नियुक्तियां) उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner